

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

लिय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679  
I नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- deanliabrary@gmail.com  
वेबसाइट :- www.mgmmcindore.in

क्रमांक : 17624/स्था./अवि./2021

इन्दौर, दिनांक : 23/10/2021

// सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के सह-चिकित्सकीय संवर्ग भर्ती सूचना //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 142/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 06.10.2021 द्वारा सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल इन्दौर की प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रथमतः म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल म.गो.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाना है।

आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की वेबसाइट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गो. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.बी.रोड) के कार्यालय में दिनांक 25.10.2021 से दिनांक 10.11.2021 तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें।

1. पदों का विवरण - म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु

सीधी भर्ती :- सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	योग	UR			SC			ST			OBC			EWS			रिगार्ड
			बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	
1	कार्डियो परपयुनिस्ट	04	02	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	
2	कैथ लेब टेक्नीशियन	04	02	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	
3	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	03	01	-	-	-	-	-	01	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	कार्डियोथोरोसाइक टेक्नीशियन	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	
5	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	08	03	-	-	01	-	-	02	-	-	02	-	-	-	-	-	
6	ओ.टी. टेक्नीशियन	08	05	-	-	-	-	-	02	-	-	01	-	-	-	-	-	* 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के होने के कारण 4 पद हेतु सीधी भर्ती एवं 4 पद हेतु पदोन्नति के दौरान का पालन किया गया है।
7	सी.एस.एस. डी. टेक्नीशियन	04	02	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	
8	लेब टेक्नीशियन (ब्लड बैंक)	03	02	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	* 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के होने के कारण पदोन्नति के दौरान का पालन किया गया है।
9	लेब टेक्नीशियन (पैथालॉजी)	03	02	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	एक्स-रे टेक्नीशियन	03	01	-	-	-	-	-	01	-	-	1	-	-	-	-	-	
11	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	
12	डायलिसिस टेक्नीशियन	04	02	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	
13	डायलिसिस टेक्नीशियन (शूरोडायनामिक स्टडी)	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	
14	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	
15	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	04	02	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	

\* नोट :- मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-19/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के बिन्दु क्रमांक 6 अनुराग अनुसार पदोन्नति के दशांशे अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती के रोस्टर एवं पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति के रोस्टर अनुसार श्रेणीवार रिक्तियां निकाली जाकर रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाते हुये की जा सकेगी

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय संवर्ग के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी (आवेदक शासकीय संस्था में न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो)

स. क.	पदनाम	योग	UR			SC			ST			OBC			EWS		
			बिना वर्ग	भूत पूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूत पूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूत पूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूत पूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	बिना वर्ग	भूत पूर्व सैनिक	दिव्यांग जन
1	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-
2	ओ.टी. टेक्नीशियन	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-

## 2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

क.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक अर्हताएँ
1	कार्डियक परफ्युनिस्ट	9300-34800+3200	1. बी.एस.सी. बायोलॉजी एवं पी.जी. डिप्लोमा (परफ्युजन टेक्नालाजी) 2. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2	कैथ लेब टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से कैथलैब टेक्नीशियन कर 2 वर्षीय डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
3	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ई.सी.जी. टेक्नीशियन में 01 वर्ष पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
4	कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से कार्डियो थोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
6	ओ.टी. टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
7	सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
8	एक्स-रे टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

			2. मान्यताप्राप्त संस्था से एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र (डिग्रीधारी को प्राथमिकता)
9	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	5200-20200+2800	3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन । 1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन ।
10	डायलिसिस टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन ।
11	डायलिसिस टेक्नीशियन (यूरोडायनामिक स्टडी)	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन ।
12	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	5200-20200+2400	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। 3. म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन ।
13	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ई.ई.जी. टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा। शर्तें:- ई.ई.जी. टेक्नीशियन का संबंधित राज्य की कौंसिल में पंजीयन होना चाहिए तथा मध्यप्रदेश में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात आवश्यक रूप से एक माह में पंजीयन कराया जावे।

महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे।

नोट:-

- पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
- भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर ([www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in)) पर उपलब्ध है।
- विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रहेगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क आवेदन के प्रारूप पर उल्लेख अनुसार अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.बी.रोड) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें। देरी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।

### 3. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रुपये)  
 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 800/- (आठ सौ रुपये) एवं  
 अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 900/- (नौ सौ रुपये) राशि का आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम.वाय.एच. केम्पस, इन्दौर में आनलाईन जमा करनी होगी। (IFSC :- SBIN0030359) (Account No. 53003590071)  
 (M.G.M. Medical College, (Autonomous Society) Indore के नाम से जमा कर रसीद आवेदन के साथ संलग्न करें।

### 4. आयुसीमा :-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

### 5. आवेदन कैसे करें:-

1. आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की वेबसाईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म. गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.बी.रोड) के कार्यालय में दिनांक 25.10.2021 से दिनांक 15.11.2021 तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें।
2. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।
3. उम्मीदवार को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न किया जाना अनिवार्य है :-
  1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र
  2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की मार्कशीट।
  3. मध्यप्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
  4. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
  5. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
  6. 12 वी कक्षा की अंकसूची
  7. जाति प्रमाण पत्र.

### 6. आरक्षण :-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
4. सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 19.01.2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षेतिज आरक्षण लागू होगा।
5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांग प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित | अस्थि बाधित (45%-50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

6. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम- 4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत "4-ख आदिग जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा"
7. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

8. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
10. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

## 7. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति - एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
14. सह चिकित्सकीय संवर्ग के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।

## 8. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :-

सह चिकित्सकीय संवर्ग को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

## 9. अनहर्तार्यें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या कराया हो या
2. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या


5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
6. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
- अ. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
- स. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- द. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
7. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

### 10. चयन प्रक्रिया:-

1. प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हों तो कक्षा बारहवीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
2. अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा अथवा मेरिट सूची के आधार पर किया जावेगा।
3. दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
4. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
5. भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक हैं:-
  1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
  2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी म.प्र. शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।

### 11. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की वेबसाईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

  
 (डॉ. संजय दीक्षित)  
 अधिष्ठाता  
 म.गा.स्मृति शासकीय स्वशासी चिकित्सा  
 महाविद्यालय इन्दौर(म.प्र.)

## आवेदन का प्रारूप

कार्डियो परफ्युगरिट, फैंथ लेब टेक्नीशियन, ई.सी.जी. टेक्नीशियन, कार्डियोथोरासिक टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ओ. टी. टेक्नीशियन, सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन, लेब टेक्नीशियन (ब्लड बैंक), लेब टेक्नीशियन (पैथालॉजी), एक्स-रे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन (यूरोडायनामिक स्टडी), फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ई.ई.जी. टेक्नीशियन

(सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, इन्दौर) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र  
(अंतिम तिथि 10.11.2021)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी के लिये रुपये 1000/- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये रुपये 900/- एवं आरक्षित श्रेणी के लिये रुपये 800/- का आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम.वाय.एच. कैम्पस, इन्दौर

(IFSC :- SBIN0030359) (Account No. 53003590071) (M.G.M.Medical College, (Autonomous Society ) Indore के नाम से कर रसीद संलग्न करें

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर .....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) .....01.01.2021 को आयु.....वर्ष  
.....माह.....दिवस
8. वर्ग : अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू. एस.  
/विकलांग/ ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की  
छायाप्रति संलग्न करें )
9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....
10. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) पद के  
अनुसार योग्यता अंकित करें

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
1					
2					
3					
4					
5					

11. कार्य अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	अनुभव
1			
2			
3			
4			

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)।

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची
2. वैरामेडिकल काउन्सिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ।
3. जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है।)
4. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
5. आधार कार्ड
6. प्रशिक्षण/कांफेस पुरस्कार प्रमाणपत्र
7. आवेदन शुल्क की आर.टी.जी.एस. की रसीद

नोट:- वेतनगान में अंकित पद हेतु पदों की आवश्यक शैक्षणिक व वॉछनीय अर्हताये संस्था की वेबसाईट (www. mgmmcindore.in) पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित पद की अर्हताये आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर आवेदन पत्र की पूर्ति करे।

स्थान.....  
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जाँच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. म.प्र. शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के निर्धारित नियम मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर